

फैक्स

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,
सुपौल।

पटना, दिनांक...14-08-15

विषय:- सुपौल जिला के लिए अपर लोक अभियोजको की नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-139-2/सपत्र, दिनांक-13.02.2013 के प्रसंग में निदेशानुसार संसूचित करना है कि राज्य सरकार ने निम्नलिखित अधिवक्ताओं को सुपौल जिला के लिए अपर लोक अभियोजक नियुक्ति करते हुए नया पैनल गठित की कृपा की है :-

क्रम सं०	अधिवक्ताओं का नाम	पंजीयन संख्या
1.	श्री कमल नारायण यादव	1819/98
2.	श्री ब्रज लाल मुखिया	2547/96
3.	श्री मो० रजी अहमद	2693/95
4.	श्री मो० अबु जफर	1438/70
5.	श्री अमर कुमार दास	725/86
6.	श्रीमती सारंग कुमारी	1505/89
7.	श्री राजेश कुमार सिंह	2708/99
8.	श्री रामजी प्रसाद साह	2767/94
9.	श्री रूद्र प्रताप लाल	5991/95
10.	श्री ललन प्रसाद सिंह	660/75
11.	श्री राजीव रंजन	1241/97

- उक्त पैनल की कालावधि तीन वर्षों की होगी। अतएव अनुरोध है कि तीन वर्षों की अवधि पूरा होने के चार माह पूर्व ही नये पैनल का पूर्णगठन करा लिया जाय।
- इस आदेश के निर्गत होने के पश्चात् पुराना पैनल स्वतः समाप्त समझा जायेगा। उक्त पैनल अधिवक्ता के सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क ही देय होगा। तथा एक दिवसीय कार्य करने के लिए एक ही दैनिक शुल्क देय होगा।
- इस शर्त के साथ की गई है कि सहायक अभियोजन पदाधिकारी का अपर लोक अभियोजक में सामान्य प्रोन्नति होने की तिथि से नीचे से क्रमशः क्रमांक-11 एवं 10 पर नियुक्त अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

विश्वासभाजन

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:-5160/जे०, पटना, दिनांक:-14-08-15

प्रतिलिपि:-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:-5160/जे०, पटना, दिनांक:-14-08-15

प्रतिलिपि:-माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।